न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : उम्मेद सिंह रतनू, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 21/2021

अपीलांट्स – ***बनाम*** **रेस्पोडेंट्स –**

अपीलांट्स	रेस्पोडेंट्स
1. शेराराम गोदपुत्र उदाराम 2. मेहराराम पुत्र मोटाराम 3. भानाराम पुत्र मोटाराम जति मेगवंशी निवासी भीलों की ढाणी (बारासण) तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर	1. कलाराम पुत्र मोटाराम जाति मेगवंशी निवासी भीलों की ढाणी (बारासण) तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर 2. तहसीलदार गुडामालानी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 131 दिनांक 13.11.2010 जो तहसीलदार गुडामालानी द्वारा अपीलांट्स व उत्तरदाता की संयुक्त खातेदारी की भूमि को विभाजित करने हेतु पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री नारायण कुमावत, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री महेन्द्र जोशी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 1 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 18.05.2022

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट्स तहसीलदार गुडामालानी के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 131 दिनांक 13.11.2010 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा भीलों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 477 रकबा 57–05 बीघा के सहखातेदारान शेराराम गोद पुत्र उदा, पाती पत्नी उदा कला, मेहरा, भा[illegible] मौ0 देह ने दिनांक 13.11.2010 को प्रार्थना–पत्र [illegible] के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न वि[illegible] नक्शा अनु[illegible] आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने [illegible] करने का निवे[illegible]या। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी बारासण द्वारा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2022.07.04 16:37:45 IST
Reason: SelfAttested

की गई कि उपरोक्त वर्णित भूमि पक्षकारान के नाम सहखातेदारी में दर्ज है तथा उपरोक्त विभाजन के सभी पक्षकारान सहमत हैं। भूमि सह खातेदारों की पैतृक है। इस पर तहसीलदार गुडामालानी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 131 दिनांक 13.11.2010 पारित किया गया। अपीलांट्स ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.08.2021 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट्स व रेस्पोडेंट सं. 1 के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुडामालानी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी विधिक भूल की है। रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपीलांट व अन्य समस्त खातेदारान के मध्य कब्जानुसार विभाजन प्रस्ताव दिया। अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 एक की कुटुम्ब के सदस्य एवं भाई बंधु है तथा अनपढ़, भोले स्वभाव के ग्रामीण हैं। मौके पर कब्जा व नक्शा में तरमीम में भिन्नता होने से अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लिहाजा मौके पर कब्जा–काश्त अनुसार तरमीम करवाना आवश्यक हो गया है, किन्तु रेस्पोडेंट संख्या 1 तरमीम शुद्धि के लिए टालमटोल कर रहा है। अपीलांट्स जब अपने कब्जा–काश्त की भूमि में काश्त करने लगे तो रेस्पोडेंट संख्या 1 ने इसका विरोध करते हुए यह कहा कि बंटवाडा में उक्त जमीन उसके नाम करवा दी गई है। इस प्रकार राजस्व रेकर्ड की सर्वप्रथम जानकारी होने की दिनांक से अन्दर मयाद अपील प्रस्तुत कर सद्भाविक रूप से अज्ञानतावश हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु अलग से धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत है। अतः अपीलांट्स की यह अपील अन्दर मयाद शुमार कर जाकर अपील आदेश निरस्त कर विवादित आराजी का नये सिरे से विभाजन किये जाने का आदेश फरमावें।

न्यायालय अपर कलेक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2022.07.04 16:37:45 IST
Reason: SelfAttested

5. अपीलांट्स व रेस्पोडेंट संख्या 1 मय अधिवक्ता उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। राजीनामा में पक्षकारान ने निवेदन किया कि अपीलाधीन बंटवाडा पक्षकारान के मौका पर कब्जा–काश्त के विपरीत कर दिया गया है जिससे

अपर कलेक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

पक्षकारान का कब्जा एक–दूसरे के हिस्सा–बंट मे चला गया है। पक्षकारान लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपीलाधीन आराजी का आदेश क्रमांक 131 दिनांक 13.11.2022 द्वारा किये गये बंटवाडे को निरस्त कर नये सिरे से बंटवाडा करवाना चाहते हैं। लिहाजा तहसीलदार गूडामालानी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को निरस्त कर नये सिरे अपीलाधीन भूखण्ड का बंटवाडा करने हेतु तहसीलदार गुडामालानी को निर्देशित करने का आदेश फरमाया जावे।

6. हमने दोनों पक्षों के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा भीलों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 477 रकबा 57–05 बीघा के सह खातेदारान शेराराम गोद पुत्र उदा, पाती पत्नी उदा, कला, मेहरा, भाना पि0 मोटा कौम मेगवंशी सा0 देह ने प्रार्थना–पत्र तहसीलदार गुडामालानी के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी बारासण द्वारा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि उपरोक्त वर्णित भूमि पक्षकारान के नाम सहखातेदारी में दर्ज है तथा उपरोक्त विभाजन के सभी पक्षकारान सहमत हैं। भूमि सह खातेदारों की पैतृक है। इस पर तहसीलदार गुडामालानी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 131 दिनांक 13.11.2010 पारित किया गया। अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत अपील पर रेस्पोडेंट सं. 1 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया जो बाद अवलोकन तस्दीक किया गया। इस प्रकार पक्षकारान द्वारा लिखित स्वीकारोक्ति राजीनामा अनुसार मौके पर पक्षकारान जिस प्रकार काबिज हैं उस अनुसार उनका विभाजन नहीं होना पाया जाता है। ऐसे में अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश अपास्त करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन कराया जाना उचित है। इस प्रकार प्रकट तथ्यों एवं परिस्थितियों से पाया जाता हैं कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुडामालानी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नहीं करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो[illegible] जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2022.07.04 16:37:45 IST
Reason: SelfAttested

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील जरिये राजीनामा स्वीकार

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पारित विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 131 दिनांक 13.11.2010 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार गुडामालानी को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 में यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

8. निर्णय आज दिनांक 18.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/5/22

(उम्मेद सिंह रतनू)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2022.07.04 16:37:45 IST
Reason: SelfAttested